भारतीय मजदूर संघ

७ वां अ० भा० आंधिवेशन, हैदराबाद, ९-११, जनवरी ११८४

प्रस्ताव

श्रद्धाञ्जली

भारतीय मजदूर संघ के पिछले कलकत्ता अधिवेशन के पश्चात सामाजिक, राजनैतिक, औद्योगिक, साहित्यिक, ललितकला, ट्रेड यूनियन और अन्य क्षेत्रों के कई दिग्गजों को हमने खो दिया है। ट्रेड यूनियन के उद्देश्य के लिये और मजदूरों के अधिकारों को स्थापित करने के लिए अनेक मजदूरों ने जान गवाई है। निसर्ग प्रकोप के कारण कई जानें चली गयीं हैं। देश के कई भागों में दुर्भाग्यवश कानून व्यवस्था के भंग होने से अनेक बलि चढ़ गये हैं। सामाजिक और राजकीय उथल पुथल के कारण भी काफी प्राण हानि हुई है। उन सबके नामों को स्मरण करना तो आज संभव नहीं है, फिर भी उनमें से कई प्रमुख व्यक्तियों को इस अवसर पर स्मरण करना आवश्यक है।

गान्धी युग का तेजस्वी नेतृत्व अब आँखों से ओझल हो रहा है। महात्मा जी के निकटवर्ती नेताओं के गुजर जाने से आज की पीढ़ी का उनसे सम्बन्ध ही टूट रहा है। आचार्य विनोबा भावे और आचार्य कृपलानी उस जीवन के मार्गदर्शक रहे, जो अब नहीं रहे हैं।

सामाजिक, राजनैतिक, साहित्यिक और अन्य क्षेत्र के अनेक प्रसिद्ध व्यक्ति अदृश्य हो गये हैं। उनमें से प्रमुख हैं– जयसुखलाल हाथी, मोहनलाल सुखाड़िया, देवराज अर्स, शेख अब्दुल्ला, केदार पण्डेय, मुहम्मद कोया, लाला जगतनारायण, निरंकारी नेता डा. बलवीर सिंह, जी. डी. बिड़ला, राजीवलोचन अग्निहोत्री, द. ए. बेन्द्रे, भूपेश गुप्ता, हरिपद भारती, बसंत शर्मा, के. एस. कर्ता, कोचुन्नी तिरुमलपाद, प्रमोददास गुप्ता, ज्योतिर्मयबसु इनके अलावा और भी बहुतों की मृत्यु हो चुकी है।

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से सम्बन्धित कई निष्ठावान महानुभाव–विवेकानन्द शिला स्मारक के शिल्पी एकनाथ जी रानडे, महाराष्ट्र के प्रान्त संघचालक और जो पूर्ण के पास तलजाई में सम्पन्न हुये सबसे बड़े शिविर के कर्ताधर्ता थे–बाबाराव भिड़े, आन्ध्र प्रदेश की जनता की विविध रूप में सेवा करने वाले गोपालराव ठाकुर और तात्या देव मुख, डा. हेडगेवर जी से अति दीर्घ सम्पर्क जिनका रहा–कृष्णराव मोहरिल, नागपुर के राममाऊ जामगड़े, प्रसिद्ध सांसद रा. कृ. ह्यालगी, करेट ला सत्यनारायण अब हमारे बीच नहीं हैं।

ट्रेड यूनियन क्षेत्र से हिन्द मजदूर सभा के बाल दण्डवते, डी. राजगोपाल, दिनकर देसाई, शिवनाथ बनर्जी और सदाशिव बागाइतकर, सीटू के पी. के. कुर्णे और मेजर जयपाल सिंह के निधन से इस क्षेत्र को काफी हानि पहुँची है। दुर्भाग्यवश पुलिस जुर्म, मालिकों के अत्याचार और ट्रेड यूनियन के आपसी झगड़े के कारण भी कई कार्यकर्ता जान गवां बैठे हैं। उनमें केरल के दुर्गादास और अशोकन, लुधियाना के वंशनारायण, मोदीनगर के जयप्रकाश और फागूराम शामिल हैं।

भारतीय मजदूर संघ ने भी कई कार्यकर्ताओं को खो दिया है। बम्बई के चोटी के कार्यकर्ता प्रभाकर पंत केलुसकर, ल. ग. चाफेकर, जनार्दन सरदार, हैदराबाद के रामुलू और ज्ञानेश्वर, कर्नाटक के पुण्डलीक भट और केशव देवांग, उखड़ा (बंगाल)

के गुरुप्रसाद सिंह, रंजनदास गुप्ता और नानकारी मुखर्जी, भोपाल के शरद केतकर, इटारसी के नर्मदा प्रसाद सोनी, हिमाचल के केदार सिंह परमार, सहारनपुर के मुल्कराज जग्गा, चालिसगांव के लक्ष्मण गवली, शाहजहाँपुर के सुरेश सिंह, कलकत्ता के ए.एल.राय. टाटानगर के आर.एन. पिल्ले, रावत भाटा के गोविन्द सिंह तथा इनके अलावा भी कई कार्यकर्ता हमसे बिछुड़ गये हैं।

आसाम, पंजाब और भारत के अन्य प्रदेशों में कई हजार निर्मम हत्या के शिकार हुये हैं।

अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में एक श्रेष्ठ राजनेता रूस के अध्यक्ष लियोनेद ब्रेजनेव की मृत्यु से रूस में एक युग का अन्त हो गया है। पोलैण्ड के सालिडेरिटी के नेता और कार्यकर्ता तथा उन्हीं के जैसे अन्य देशों में भी ट्रेड यूनियन अधिकारों की रक्षा हेतु लड़ते लड़ते कई शहीद हुये हैं।

श्री लंका में तामिलभाषी बन्धुओं की बड़े पैमाने पर निर्मम हत्या एक बड़ा ही दुखद गभीर घटना है।

भारतीय मजदूर संघ का यह 7 वां अखिल भारतीय अधिवेशन इन सबका स्मरण कर अपनी हार्दिक श्रद्धाञ्जलि अर्पण करते हुये उनकी आत्माओं की सद्गति के लिये ईश्वर से प्रार्थना करता है।

—:o:—

आर्थिक स्थिति

राष्ट्रवादी श्रम संगठन होने के नाते भारतीय मजदूर संघ का यह विश्वास है कि देश की आर्थिक प्रगति का मूल्यांकन सभी नागरिकों के मूल मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति से की जानी चाहिये, न कि कुल राष्ट्रीय उत्पादन से। न्यूनतम जीवन निर्वाहस्तर तथा रोजगार-ये मनुष्य के मौलिक अधिकार हैं। सरकार का यह दायित्व है कि वह सक्षम व्यक्तियों को रोजगार तथा हर सामान्य नागरिक को न्यूनतम जीवन निर्वाहस्तर की सुविधायें मुहैय्या कराये। इन मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति ही हमारी आर्थिक योजनाओं और उसके विकास के मुख्य उद्देश्य होने चाहिये। इस कसौटी पर सरकार की आर्थिक नीतियाँ पूर्ण असफल सिद्ध हुयी हैं और उसने भारतीय अर्थव्यवस्था को पूर्ण विनाश के कगार तक पहुचा दिया है।

प्रचुर मात्रा में फैलती हुयी गरीबी और बढ़ती हुयी बेकारी आज की अपनी अर्थव्यवस्था की विशे-

में ये दोनो तथ्य अनिवार्य अंग के रूप में एक दूसरे से बंधे हुये हैं। हमारी गरीबी का प्रमुख कारण बेकारी और अर्द्ध बेकारी है। गरीबी मिटाने हेतु प्रमुख कार्यक्रम पर्याप्त लोगों को काम में लगाने वाले अवसरों को निर्माण करना ही होना चाहिये। इसलिये आज देश के सामने महत्व का और अनिवार्य प्रश्न परिपूर्ण रोजगार देने का ही है। बेरोजगारी की स्थिति जो पहले से ही विकट थी, अब बिगडते बिगड़ते भयानक रूप धारण कर ली है। दूसरी पंचवर्षीय योजना के अन्त में बेरोजगारों की संख्या में 75 लाख की बृद्धि हो गयी। इस बेरोजगारी कीसंख्या बढ़ जाने से योजना पर ही प्रश्न चिन्ह लग गया है। १९७१ में यह संख्या १९६१ से दुगुना होकर १ करोड़ ४३ लाख तक पहुँच ग्यी, जबकि सरकार यही दावा करती रही कि योजनायें रोजगार के अवसरों को बढ़ाने के लिये बनायी गयी हैं। संसद में दिये गये सरकार के वक्तव्य में यह बताया गया

विस्फोटक है । क्योंकि इन आंकड़ों से पूरी स्थिति की जानकारी नहीं मिल सकती । ये आंकड़ देश के रोजगार दफ्तरों से एकत्रित किये जाते हैं । यह निर्विवाद है कि इन केन्द्रों से लिये गये आंकड़ स्थिति का सही चित्र प्रकट नहीं कर सकते । हमारे देश में बहुसंख्य निरक्षरता के कारण अपने घरों से दूर स्थित रोजगार केन्द्रों में नाम दर्ज कराने की अपेक्षा नहीं की जा सकती । शहरों में रहनेवाले सभी शिक्षित बेरोजगार भी अपने नाम पंजीकृत कराने नहीं जाते । बेरोजगारों की संख्या बहुत बड़ी है । लगभग ५ से ६ करोड़ तक सम्भावित है । प्रसिद्ध अर्थशास्त्रियों के कथनानुसार प्रति वर्ष ६० लाख बेरोजगार में बृद्धि होती है । इस दिल दहलानेवाली सख्या के अलावा अर्द्ध बेरोजगारों की भी बहुत बड़ी संख्या विद्यमान है ।

'राष्ट्रीय सेम्पल सर्वेक्षण' के आकड़ों को सामने रखकर 'गाडगिल समिति' का सुविचारित निस्कर्ष यह रहा है कि वर्ष १९६०–६१ में शहरों में रहने वाले प्रति व्यक्ति की मासिक आय २१ रुपये तक तथा ग्रामों मे रहने वाले १५ रुपये तक आय कमाने वाले गरीबी रेखा के नीचे की श्रेणी में माने गये । इस अत्यन्त संकुचित परिभाषा के अनुसार भी ६० ६१ में ३९.१४ प्रतिशत अर्थात् १७ करोड़ २० लाख का जनसख्या गरीबी रेखा से नीचे मानी गयी और इसी मानदण्ड के आधार पर वर्ष १९७३-७४ में उनकी संख्या ६६.५० प्रतिशत अर्थात् ३८ करोड़ ६० लाख तक पहुँच गयी । ये आकड़े स्वयं सरकार ने अपने 'मिड इयर प्रोजेक्ट' (मध्यवर्षीय परियोजना) में प्रकाशित की है । इसका अर्थ यह है कि हर वर्ष १ करोड़ ६५ लाख लोग गरीबी रेखा के नीचे ढकेले जा रहे हैं । मुद्रास्कीति की जो बढ़ती हुयी दर है और प्रति वर्ष जो १ करोड़ ६५ लाख की जनसंख्या गरीबी रेखा के नीचे चली जा रही है, इनको सामने रखकर यह सीधा अनुमान लगाया जा सकता है कि आज गरीबी रेखा के नीचे ५३ करोड़ ४० लाख लोग होंगे । वास्तव में यह स्थिति अत्यन्त विस्फोटक और दहला देने वाली है । यह बहुत ही खल-

सरकार ने अब गरीबी के मापदण्ड को ही बदलने के लिये सोचा है, ताकि लोगो के सामने कम व्यथा उत्पन्न करने वाले आकड़ें दिखाई दें ।

सरकार मुद्रास्फीति पर काबू नहीं पा रही है । दि. १७ अप्रैल १९८२ के सप्ताहान्त के थोकमूल्यों के दर को न बढ़ने की जो डींग हांको गयी, वह उलटा ही सिद्ध हुआ । गलत आंकड़ों के आधार पर क्यों न हो, मूल्यबृद्धि का दर जो सामने आ रहा है, वह अत्यन्त भयावह है । अक्तूबर १९८२ में सूचकांक जो ४९१ था, ६७ विन्दु बढ़कर अक्तूबर १९८३ में वह ५५८ हो गया है । यह खतरे का संकेत है । अभी अभी नागपुर में वित्तमन्त्री ने घोषणा की है कि मूल्यों को नीचे लाना असम्भव है । इस प्रकार अनियंत्रित मूल्य बृद्धि गरीबों और मजदूरों की कमर तोड़ रहा है ।

अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोष से ५ हजार करोड़ रुपये का जो ऋण लिया गया है, इससे भारत पर १५ हजार करोड़ रुपये से बढ़कर २० हजार करोड़ रुपये कर्जा हो चुका है । अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोष ने अपनी स्वाभाविक रीति के अनुसार भारत सरकार पर पूंजीवादी नीतियों को थोपा है । वे मुख्य रूप से हैं– (१) निजी क्षेत्र में पूंजीनिवेश और उत्पादन को प्रोत्साहन देना (२) विदेशी सहयोग और स्वत्व शुल्क (रायल्टी पेमेन्ट्स) प्रदान करने में उदारता की नीति अपनाना । (३) आयात को बढ़ावा देना (४) धान्य (अन्न) और अन्य वस्तुओं के सार्वजनिक वितरण के अनुदान को कम करने के लिये पग उठाना । (५) बचत को प्रोत्साहित करने और पूजी लागत को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रत्यक्षकरों को ज्यादा और अप्रत्यक्षकरों को कम करके व्यय के ऊपर कठिन नियंत्रण लगाने की आर्थिक नीति अपनाना तथा (६) कड़ी मुद्रा नीति ।

अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोष की यह नीति सामान्य व्यक्ति के जीवन स्तर को कुण्ठित करने वाली है । आयात को उन्मुक्त करने का तात्पर्य है– देशी

ऋण को रोकने की नीति सभी ऋण लेने वालों पर समान रूप से प्रभावित नहीं करती। केवल मध्यम और छोटे उद्योगों के ऊपर ही उसका अधिक परिणाम होगा और ऐसे कारखाने बन्द होंगे तथा मजदूर बेकार हो जावेंगे। अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोष की नीतियों का अन्ततोगत्वा परिणाम मुद्रास्फीति (जो जान बूझकर बनाई गयी है), बेकारी, वेतन जाम, साथ ही कल्याणकारी कार्यक्रमों में व्यय और आवश्यक वस्तुओं के अनुदान पर रोक के रूप में होगा। कम और मध्यम आय वाले लोगों के ऊपर इनमें से प्रत्येक कार्य पर उलटा परिणाम करेगा। कुल मिलाकर इन सबका परिणाम विनाशकारी होगा। अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोष के ये सुझाव आयात नियंत्रित के भुगतान का सन्तुलन करने के बजाय सम्पत्ति और आय के पुनर्वितरण को भारतीय और विदेशीय पूंजीपतियों के पक्ष में कर देंगे और इसका परिणाम यही होगा कि भारत अपना आर्थिक स्वातंत्र्य खोकर सदैव के लिये ऋणग्रस्तता में ही फंसा रहेगा। भारत को ऋण के फंदे में फंसा दिया गया है और अब उसके सामाजिक और आर्थिक परिणामों से हम बच नहीं पायेंगे। अपने राष्ट्र का आर्थिक विकास विदेशी पूंजी, विदेशी मशीनरी और विदेशी तकनीक पर अवलम्बित रहेगी तथा अपने आर्थिक सार्वभौमता पर प्रश्न चिन्ह बना रहेगा।

श्रमक्षेत्र में औद्योगिक अशान्ति अन्दर अन्दर सुलग रही है। मूल्य वृद्धि के कारण मजदूरों के असली वेतन में तेजी से गिरावट आयी है। यशस्वी हरित क्रान्ति के बाद भी गहूँ के मूल्यों में ३६६ फीसदी और ज्वार के भावों में ३५८ फीसदी वृद्धि हुयी है। गलत सूचकांक को ठीक नहीं किया गया, जिसके कारण मंहगाई भत्ते का अवमूल्यन हो रहा है। सरकार ने पूरी तरह से मजदूरों के विरोध में तथा पूंजीपतियों के पक्ष में अपनी नीति बना ली है। भूतलिंगम समिति की सिफारिशों को, जिसकी इनटुक सहित सभी श्रम संगठनों ने निन्दा की थी, आज ब्यूरो आफ पब्लिक इन्टरप्राइजेस के मार्गदर्शक सूत्रों के जरिये उसे पुनः स्थापित किया वेतन और अन्य न्यायपूर्ण मांगों व सामाजिक न्याय प्राप्ति के लिये तथा इसके साथ ही अमानवीय शोषण के विरुद्ध देश के मजदूर जो उचित रूप से आन्दोलित हैं, उन्हें कुचलने के लिये एस्मा, रासुका जैसे काले कानूनों का खुले रूप में सहारा लिया जा रहा है। ३१ जनवरी, १९८१ की मध्य रात्रि को जब सरकार ने प्रशासनिक निर्देशों के माध्यम से एक अध्यादेश के द्वारा जब वेतन के निर्णय करने का अधिकार स्वयं ले लिया, उसी समय से मजदूरों के खिलाफ उसने जंग का एलान कर दिया है। १६ सितम्बर ८१ के दिन बड़े सबेरे ४ बजे संसद ने अनिवार्य सेवा अनुरक्षण अधिनियम (एस्मा) को पारित करके जिसमें मजदूरों के शान्तिपूर्ण व अहिन्सक 'हड़ताल' करने का अधिकार छीना गया है- मजदूरों के ट्रेड यूनियन अधिकारों व सामूहिक सौदेबाजी के अधिकारों को निर्दयता के साथ कुत्सित रूप से कुचल दिया है। अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोष के निदेशक मण्डल ने १ नवम्बर ८१ के दिन भारत को भारी ऋण स्वीकृत करके यह सिद्ध कर दिया है कि उनके इसारे पर विदेशी शक्तियों के दबाव व हस्तक्षेप के कारण ही 'एस्मा' लाया गया हैं। पूंजीपति जो चुनाव आदि के समय राजनीतिज्ञों को पैसा देते समय शर्तें रखते हैं तथा अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोष को सरकार के द्वारा जो वादे दिये गये हैं- उसे पूरा करने के लिये सरकार ने श्रमिक विरोधी कई कदम उठाये हैं। राज्य सभा में वित्त मंत्री का यह कथन कि वेतन के सम्बन्ध में निर्णय को सामूहिक सौदे-बाजी पर छोड़ा नहीं जा सकता- इसका ही परिणाम है कि मजदूरों को न्यायोचित वेतन देने और उनके अधिकारों के बारे में जो सरकार की अभी तक की मान्य राष्ट्रीय नीति रही है, उससे अपने को येन केन प्रकारेण मुक्त करके ट्रेड यूनियन आन्दोलन को ही कुचलने पर तुली हुयी है।

बड़े ही शर्म की बात है, आजादी के ३६ वर्षों के बाद भी ५३ करोड़ ४० लाख लोग गरीबी रेखा के नीचे जीवन व्यतीत कर रहे हैं, तथा निकट भविष्य में रोजगार मिलने की जिन्हें आशा नहीं है-

दर भटक रहे हैं। यह स्थिति अपने समाज की आधार शिला के लिये बड़े खतरे की द्योतक हैं। २० हजार करोड़ का विदेशी ऋण और इसके अलावा अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोष द्वारा लगायी गयी अपमानजनक शर्तें अपनी राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को अपंग बनाये हुये हैं। संगठित मजदूरों पर हमले तथा ट्रेड यूनियन आन्दोलन को कुचलने की सरकारी नीति से जनतंत्र पर ही खतरा उपस्थित हो गया है।

अत: आत्मनिर्भर व स्वावलम्बी आर्थिक विकास के लिये जिसमें प्रत्येक नागरिक की न्यूनतम अनिवार्य आवश्यकता पूरी हो सके, हमारा सुझाव है कि सरकार अपनी आर्थिक नीतियों को अल्पकालीन और दीर्घकालीन उपक्रमों के माध्यम से निम्नलिखित ढंग से पुनर्गठित करे–

१) प्रत्येक व्यक्ति की न्यूनतम अनिवार्य आवश्यकताओं की पूर्ति की दृष्टि से योजनाओं की रचना।

२) निम्न और उच्चतम आय का अनुपात एक और दस से अधिक न रहे।

३) विदेशी हितों के आर्थिक साम्राज्यवाद से मुक्ति, विदेशी पूंजी को क्रमश: हटाना, विदेशी बैंकों का अधिग्रहण, विदेशी तथा बहुद्देशीय स्वामित्व के उद्योगो का पूर्ण भारतीयकरण तथा जनतांत्रिकीकरण।

४) अधिक लोगों के द्वारा अधिक उत्पादन– इन दोनों को समान महत्व देकर स्वदेशी तकनीक का विकास।

५) बड़े पैमाने पर ग्रामीण कार्यक्रम योजना; छोटे गृह उद्योगों को बढ़ावा तथा लघु सिंचाई साधनों के लिये वरीयता।

६) एक सर्वंकश 'राष्ट्रीय आर्थिक नीति' के विकास के उद्देश्य से आय, मूल्य, उत्पादकता, पूजीनिवेश तथा नियोजन के बारे में विचार करने हेतु सभी आर्थिक हितपक्षों (उद्योगपति, लघु उद्योगपति, व्यापारी, किसान, मजदूर तथा अर्थ विशेषज्ञों आदि) के प्रतिनिधियों की तुरन्त एक गोलमेज

७) बेकारों के लिये बेकारी भत्ता की प्रथा जारी करना तथा आय कर कानून में 'पूजीनिवेश की छूट' के स्थान पर 'रोजगार अनुदान' की प्रथा लागू करना।

८) उपभोक्ताओं की चुनी हुयी समितियों की निगरानी और निर्देश में सस्ते मूल्यों पर खाद्यान्न, खाद्यतेल, कपड़ा व चीनी आदि सभी अनिवार्य आवश्यक वस्तुओं को सार्वजनिक वितरण प्रणाली की विशाल योजना के माध्यम से वितरण और विपुल मात्रा में आपूर्ति की गारन्टी।

९) किसानों की कृषि उपज का लाभदायक मूल्य तथा कृषि मजदूरों को पर्याप्त पारिश्रमिक।

१०) सभी प्रकार की आय पर सीमाबन्दी (सीलिंग)।

११) सभी प्रकार की ऊलजलूल, अय्यासी व फिजूल खर्चों पर रोक।

१२) सभी प्रकार के अप्रत्यक्ष करों का निरसन।

१३) घाटे की अर्थव्यवस्था को कड़ाई के साथ कम करना।

१४) कठोर शासकीय उपाय योजना से काले धन की समानान्तर अर्थव्यवस्था को समाप्त करना।

१५) करचोरों, काला बाजारियों, अनुचित लाभ कमाने वालों, जमाखोरों, सटोरियों, स्मगलरों, मिलावट करने वालों, भ्रष्ट एवं अन्य असामाजिक तत्वों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही।

१६) विलासी वस्तुओं के उद्योगों पर रोक तथा उपभोक्ता वस्तुओं के उद्योगों को प्रोत्साहन।

१७) आवश्यक अनिवार्य वस्तुओं के मूल्यों को केवल रोकना ही नहीं, अपितु १९७१ के स्तर तक उसे नीचे लाने के लिये शीघ्र परिणामकारी योजना।

१८) भूमि सुधारों को सख्ती से अमल में लाना और अतिरिक्त भूमि को भूमिहीन मजदूरों, विशेषकर हरिजन, गिरिजन, जनजाति और आर्थिक

देशहित की दृष्टि से मजदूरों के बारे में अपनी नीति बदलकर तथा श्रमिक वर्ग को विश्वास में लेकर निम्नांकित प्रक्रियाओं को अमल में लाने हेतु यह अधिवेशन भारत सरकार से आग्रह करता है–

१) १५ वें भारतीय श्रम सम्मेलन (वर्ष १९५७) के मान्य सिद्धान्तों के अनुसार आवश्यकता पर आधारित न्यूनतम वेतन ।

२) मंहगाई का पूर्ण समतोलीकरण ।

३) उत्पादकता सूचकांक की रचना हेतु और उत्पादकता के लाभ को नियोजक व मजदूर–दोनों में बटवारा करने हेतु राष्ट्रीय योजना का विकास ।

४) प्रत्यक्ष वेतन और जीवन वेतन में जब तक अन्तर है, बोनस को विलम्बित वेतन मानना ।

५) गलत मूल्य सूचकांक को सुधारना ।

६) ट्रेड यूनियन के सदस्यों व कार्यकर्ताओं के विरुद्ध चल रही उत्पीड़न के कार्यवाहियों की वापसी ।

७) बिना विकल्प रोजगार के छटनी और तालाबन्दी पर रोक ।

८) सामूहिक सौदेबाजी, हड़ताल और ट्रेड यूनियन के अधिकरों के सुरक्षा की पूर्ण गारण्टी ।

९) उद्योग व व्यवस्थापन में मजदूरों के गुप्त मतदान के आधार पर चुनी गयी अनुपातिक प्रतिनिधित्व द्वारा निर्मित संयुक्त सौदेबाजी पद्धति का विकास ।

१०) सेवा की अवधि के आधार पर मस्टर रोल, कैजुअल, वर्कचार्ज, दैनिकीय और अस्थायी मजदूरों का नियमितीकरण तथा सेवा सुरक्षा प्रदान करना ।

११) आवास की कमी को दूर करने हेतु आवश्यक कदम उठाना ।

१२) दोषी नियोजक के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही का प्राविधान ।

१३) स्वचालितीकरण और कम्पूटरीकरण का निरुत्साहन ।

१४) समस्त श्रम कानूनों को संग्रहित कर एक नये समान श्रम संहिता को लागू करना ।

१५) नियमों को सरल बनाते हुये एकीकृत सामाजिक सुरक्षा की योजना, जो अधिक प्रतिफल दे सके तथा असंगठित क्षेत्र पर पहले लागू होकर अन्ततोगत्वा पूरे समाज को लाभान्वित कर सके ।

राष्ट्र और मजदूरों की सेवा करने के प्रभावी साधन के रूप में विद्यमान भारतीय मजदूर संघ गरीबी के कारण बुरी दशा में जीवन निर्वाह करने वाली देश की दो तिहाई जनता की पीड़ा के साथ अपने को तादाम्य एवं सम्बद्ध करता है ।

सरकार ने अपनी आर्थिक सार्वभौमता को दूसरों के हाथ में सौंप दिया है, फलस्वरूप मजदूरों के काम की स्थिति, जिन्दगी और सम्मान में जो गिरावट आयी है, उसके बारे में भारतीय मजदूर संघ घोर चिन्ता व्यक्त करता है ।

भारत सरकार का पूजीपतियों, बहुदेशीय निगमों तथा कुछ विदेशी हित तत्वों से अपवित्र गठबन्धन होने के कारण उसने गरीब व श्रमिक विरोधी नीति अपनायी है और राष्ट्रीय स्वाभिमान, आर्थिक स्वतंत्रता तथा सार्वभौमता को ताक पर रख दिया है । इस चुनौती का सामना करने के लिये देश के श्रमिक, गरीब व पीड़ित भारत की जनता को एक होकर भ्रष्ट सरकार व शोषण करने वाले पूजीपतियों के खिलाफ सतत अविश्रान्त संघर्ष छेड़ने हेतु तत्पर होना चाहिये । इस साहसी संघर्ष द्वारा अनुशासन और आक्रमक प्रवृत्ति से युक्त संगठित ट्रेड यूनियन आन्दोलन को अगुवाई करके मजदूर और गरीब विरोधी तथा पूजीपतियों के समर्थन की नीति को बदलने के लिये सरकार को बाध्य करना चाहिये ।

भारतीय मजदूर संघ का यह अखिल भारतीय अधिवेशन देश के समस्त मजदूरों को यह आह्वान करता है कि वे विधि सम्मत इस 'धर्म युद्ध' में भाग लेने हेतु सतर्क, सजग और सक्रियता के साथ एक जुट होकर आगे बढ़ें ।

कम्पूटरीकरण से सावधान

भारतीय उद्योग-धन्धें का बड़े पैमाने पर कम्पूटरीकरण किया जा रहा है। भारत सरकार और उसके अन्तर्गत कार्य करने वाले विभिन्न अभिकरणों (एजेन्सियों) ने इस सम्बन्ध में निर्णय किया है। सातवीं योजना के अन्तर्गत इलेक्ट्रानिक उद्योग को बढ़ाना देने के लिये सोचा गया है। इतना ही नहीं यह सब बिना अधिक प्रचार के, निचले स्तर पर भी किया जा रहा है।

इस विषय पर जो भी तथ्य सामने आया है, वह प्रकट करता है कि 'कम्पूटर मानवशक्ति विकास' के पैनेल की रिपोर्ट के अनुसार इस दशक में लगभग 755 बड़ी व मध्यम कम्पूटर पद्धतियों तथा 15,000 से अधिक सूक्ष्य प्रोसेसर की पद्धतियों को स्थापित किया जायगा। यह न केवल शैक्षणिक, अनुसंधान व सांख्यिकीय संस्थाओं तक ही सीमित रहेगा अपितु अपनी परिधि में सार्वजनिक व निजी क्षेत्र के उद्योगों को भी सम्मिलित करेगा।

भारतीय मजदूर संघ का मत यह है कि ऐसे बड़े पग उठाने से राष्ट्र की अर्थव्यवस्था पर जबरदस्त, दूरगामी और बहुविधि प्रभाव पड़ेगा। इन बहुत कीमती मशीनों को प्राप्त करने के लिये जहाँ कई सौ करोड़ रुपयों को निवेश करने होंगे, वहीं अपनी अर्थ व्यवस्था अधिक विकसित देशों की ताबेदार भी बन जावेगी। क्योंकि हार्डवेयर, स्पेअर पार्ट्स तथा हाल में ही लाये गये कम्पूटर के सम्भावित परिवर्तन के लिये और पहले स्थापित किये गये जो अब कुछ ही अवधि में प्रयोग के लिये पुराने और अनुपयुक्त बन जायेंगे, उनके स्थान पर प्रगत कम्पूटर लाने के लिये हमें उन देशों पर आश्रित रहने के लिये बाध्य होना पड़ेगा। जीवन बीमा निगम का अनुभव हमें बताता है कि 1967–68 में स्थापित किये गये कम्पूटर अब पुराने व कालवाह्य हो गये हैं तथा उनकी जगह अब चौथा उत्पादन पुन: स्थापित किया जा रहा है।

इन कम्पूटरों की कीमत कई लाख तथा कुछ करोड़ रुपयों में है। उनका रखरखाव भी मंहगा पड़ने वाला है। बुनियादी के लिये निवेश भी बहुत अधिक होगा। अब तक का अनुभव यह है कि वे काम में लाये गये हैं। इस परिस्थिति में निवेशक को जो प्राप्ति होगी, वह आवेष्ठित रकम के अनुरूप नहीं होगी।

बड़ी संख्या मे तथा अव्यवस्थित ढंग से कम्पूटरीकरण अपने अधिक जन संख्या वाले देश की बढ़ती हुयी बेरोजगार स्थिति पर बहुत खराब प्रभाव डालेगा। विकसित देशों का भी अनुभव यही है कि अधिक कम्पूटरी-करण के कारण बेरोजगार में बृद्धि हुयी है।

कम्पूटरीकरण अधिक विकसित विज्ञान में प्रवेश करेगा, जो न केवल हमारे स्वभाव के विरुद्ध है, क्योंकि यह मानवजाति को एक मशीन के समान वस्तु में ढालेगा, अपितु जैसा कि महात्मा गान्धी तथा बाद में शुमेकर ने प्रमाणित किया था कि यह पूरी मनुष्य जाति के लिये अनर्थकारी बनेगा।

ऐसे परिवर्तनीय तथा सार्थक प्रभाव आदेश सूचक होते हैं। अस्तु, हम इस महत्वपूर्ण विषय की ओर अत्यधिक सावधानी से दिशा निर्देश कर रहे हैं। इस विषय पर निष्पक्ष रूप से सभी सम्बन्धित पक्षों द्वारा छानबीन व विचार होनी चाहिये। भारतीय मजदूर संघ का यह मत है कि जल्दबाजी में इसका फैसला नहीं किया जाना चाहिये और अन्तिम निर्णय लेने के पूर्व इस परिवर्तन पर 'राष्ट्रीय बहस' होनी चाहिये।

कम्पूटरीकरण के प्रश्न पर भारतीय मजदूर सघ का दृष्टिकोणा 'सावधानी के साथ व्यवहार' करने के पक्ष में है। अव्यवस्थित बिना विचार किये और

कुछ क्षेत्र ऐसे हैं, जहां कम्पूटर का प्रयोग आवश्यक व अनिवार्य है। विदेशी आक्रमण के विरुद्ध अपने देश की रक्षा के लिये कोई भी कीमत ज्यादा नहीं है तथा अपनी रक्षा पद्धति को यदि कम्पूटर अजेय बनाने में सहायक है तो हमें उसे सहर्ष अपनाना चाहिये। अन्तरिक्ष अनुसंधान, समुद्र विज्ञान, उच्च तकनीकी परियोजनाओं के क्षेत्रों में इसका प्रयोग न्यायसंगत होगा। परन्तु सभी सम्बन्धित पक्षों के विचार लेने के बजाय मानव श्रम की जगह शारीरिक तथा लिपिकीय काम करने के लिये कम्पूटर स्थापित करेंगे तो राष्ट्र के हित में नहीं होगा।

भारतीय मजदूर संघ दाण्डेकर समिति की सिफारिशों को मान्य करता है, जिसने इस प्रश्न पर पूर्ण विचार कर मई, 1972 में केन्द्र सरकार को रिपोर्ट प्रस्तुत किया। उसकी कुछ सार्थक सिफारिशें निम्नलिखित हैं–

1) जहां पर कम्पूटर का प्रयोग सम्भव है अथवा सीमित प्रयोग हो सकता है, वे विशेष क्षेत्र हैं– शैक्षणिक, वैज्ञानिक तथा अनुसंधान संस्थायें, केन्द्र व राज्य सरकारों के सांख्यिकीय संगठन तथा रक्षा संस्थान।

2) वाणिज्य तथा उद्योग सस्थाओं तथा उनके अनुसंधान केन्द्रों में सरकार द्वारा कम्पूटर प्रयोग के प्रयोजन के लिये रखे गये विशेषज्ञ, जिन्हें कम्पूटर टेक्नालॉजी का पूरा ज्ञान है, ऐसे विशेषज्ञों के पैनल के माध्यम से प्रत्येक संस्था के लिये अलग से परीक्षण तथा घानबीन हो।

3) प्रबन्धकों को चाहिये कि अन्य बातों के साथ कम्पूटर के बिना क्यों कार्य नहीं किया गया, इसका कारण बतावें तथा रोजगार की स्थिति पर सम्भावित परिणाम, पदोन्नति, कार्य की स्थिति, वेतन आदि कर्मचारियों के हितों को सुरक्षित रखने जिसमें लाभांश की पद्धति भी सम्मिलित हैं, इन सभी विषयों के बारे में उक्त पैनल को न्यायसंगत रिपोर्ट प्रस्तुत करें।

भारतीय मजदूर संघ का यह 7 वां अखिल भारतीय अधिवेशन चाहता है कि कर्मचारी इस प्रश्न पर सतर्क रहें, क्योंकि नियोजक कम्पूटर लाने की उतावली में कर्मचारी और उनके संघ की सहमति प्राप्त करने हेतु प्रयत्नशील होंगे। यद्यपि कर्मचारियों के लिये यह कड़ुई गोली है तो भी उस पर वे झूठे एवं भ्रामक आश्वासनों का मीठा आवरण चढ़ायेंगे और बतावेंगे कि किसी भी कर्मचारी की छटनी नहीं होगी, वेतन में बृद्धि की जायेगी तथा पदोन्नति का मार्ग प्रशस्त किया जायेगा आदि आदि। ये भ्रामक आश्वासन इसलिये कि कर्मचारी प्रतिकार न कर सकें। अतः यह अत्यन्त आवश्यक है कि वर्तमान मानव कार्य क्षमता पर कम्पूटरीकरण के बुरे प्रभाव से कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया जाय।

भारतीय मजदूर संघ उपभोक्ताओं को सचेत करना चाहता है। कम्पूटर द्वारा तुरन्त तथा अच्छे काम का प्रलोभन कभी पूर्ण नहीं हो सकता, क्योंकि कम्पूटर भी गम्भीर गलतियां करता है। वे धोखेबाजी से परें हैं, प्रमाणित नहीं हो सका है। कम्पूटर द्वारा किया गया धोखा दोषी को पकड़वाने में सफल नही है। इस तकनीक से उपभोक्ता सस्ती सेवा कार्य के दिनों का आगे भी स्वप्न देखेंगे। भारतीय परिस्थिति में सस्ती सेवा एक मृगतृष्णा ही है। इससे प्राप्त लाभ उनके स्तर तक नहीं पहुँच सकता। कुछ व्यक्ति विशेष की हिस्सेदारी के साथ कम्पूटर विक्रेता ही अधिक लाभ कमायेंगे।

भारतीय मजदूर संघ सरकार से अनुरोध करता है कि वह ऐसे प्रयत्न से अपने को दूर रखे क्योंकि अव्यवस्थित कम्पूटरीकरण के गलत कदम से देश को गम्भीर आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ेगा।

भी कर्मचारी की छटनी नहीं होगी। (ख) वर्तमान स्टाफ को नई कार्य पद्धति की आवश्यकतानुसार पुनः प्रशिक्षण दिया जावेगा। (ग) वर्तमान स्टाफ को नई पद्धति में समायोजित किया जायेगा। (घ) कम्प्यूटरीकरण के लाभ को कर्मचारियों व उपभोक्ताओं को भी मुहैय्या किया जायेगा।

यह अधिवेशन सामान्य रूप से सभी कर्मचारियों और विशेष रूप से भारतीय मजदूर संघ के सदस्यों को निम्नलिखित कार्यक्रमों के लिये निर्देश देता है

(1) समूचे देश में जुलूस व रैली के माध्यम से कम्प्यूटर के बुरे प्रभावों से जनता व मजदूरों को सजग करने हेतु 1 मार्च 1984 को 'कम्प्यूटर विरोध दिवस' मनाया जाय।

(2) वर्ष 1984 को "कम्प्यूटरीकरण विरोध वर्ष" घोषित करता है तथा सम्बन्धित इकाइयों को निदेश देता है कि वर्ष 1984 के दौरान देश के महत्वपूर्ण औद्योगिक केन्द्रों पर सभायें व सेमिनार आदि कार्यक्रमों के माध्यम से इस विषय पर जनता को सावधान करें।

(3) जहां और जब भी कम्प्यूटर की स्थापना का प्रयत्न होता है, कर्मचारियों द्वारा प्रतिकार का प्रयत्न किया जाय।

—:o:—

महगाई भत्ते की दर

उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर मंहगाई भत्ता में परिवर्तन हेतु जो आज प्रति बिन्दु रु. 1.30 प्रचलित है, उसे बढ़ाने के विषय पर विचार करने हेतु जो त्रिपक्षीय समिति बैठायी गयी है, भारतीय मजदूर संघ उसका स्वागत करता हैं। भारतीय मजदूर संघ का यह मत है कि मंहगाई का शत प्रतिशत समतोलीकरण करके नीचले तबके के कर्मचारियों को मुहैय्या करने का जो सर्वमान्य सिद्धान्त है, उसके अनुसार भी मंहगाई भत्ते का दर रु. 1.30 को बढ़ाकर 2.50 कर देने की अत्यन्त आवश्यकता है। सरकार का यह तर्क कि आज रु. 1.30 प्रति बिन्दु ही मंहगाई भत्ता के दर को शत प्रतिशत समतोलीकरण करता है, बिलकुल गलत है और उसका यह सिद्धान्त तिरष्कृत भूतलिंगम् समिति की सिफरिशों के ही आधीर पर बना है।

भारत की सर्वोच्च त्रिदलीय समिति अर्थात 15 वें श्रम सम्मेलन में सर्वसम्मति से निर्धारित न्यूनतम वेतन के सूत्रों के आधार पर भी 1965 दिसम्बर में वह 333 रुपये प्रतिमास बनता है।

आगे दी गयी तालिका में महाराष्ट्र सरकार द्वारा प्रकाशित जेल की 'डायट मैन्युअल' के अनुसार श्रम करने वाले कैदियों के भोजन व अन्य आवश्यकताओं पर जो खर्च आता है और इसके साथ ही महाराष्ट्र के औद्योगिक मजदूरों को आवश्यकता पर आधारित न्यूनतम वेतन के जो आकड़े दिये गये हैं, इससे यह सिद्ध होता है कि इन दोनो में बहुत ही कम अन्तर है।

(वर्ष 1960 = 100)

सन्तुलित आवश्यकता	डा. आक्रायड द्वारा अनुमोदित	डायर मैन्युअल में वर्णित	
		औद्योगिक मजदूरों का	श्रम करने वाले कैदियों का
आहार का मूल्य	205.04	186.62	194.16
2 रुपये प्रतिवर्ष के हिसाब से वस्त्र का मूल्य	12.00	12.00	12.00
मकान किराया	29 00	29.00	29.00
विविध व्यय	61.51	56.90	58 79
व्यय करने हेतु कुल आय	307.55	284.52	293.95
भविष्य निधि का अंश 8.33%	25.63	23.71	24.49
	333.18	308.23	318.44

1960 के मूल वर्ष पर आधारित उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 965 में अ. भा. स्तर पर जब 132 था और न्यूनतम वेतन 333 रुपये होता था तो इस हिसाब से आज शत प्रतिशत समतोलीकरण करने पर 2.52 रुपये प्रति विन्दु होता है। इस तर्कशुद्ध सौद्धान्तिक आधार पर ही इनटुक सहित सभी केन्द्रीय श्रम संगठनों ने प्रति विन्दु महगाई भत्ते का दर 2.50 की मांग रखी है।

अस्तु, भारतीय मजदूर संघ का यह अधिवेशन मांग करता है कि औद्योगिक शान्ति की दृष्टि से सरकार इस न्यायोचित मांग को तुरन्त स्वीकार करे।

—:o:—

मूल्य सूचकांक से जोड़ा जाय

हाल में मूल्यों की बृद्धि बहुत अधिक हुयी है। 18 अक्तूबर 1983 को नागपुर में पत्रकारों के साथ वार्तालाप में केन्द्रीय वित्त मंत्री ने स्वीकार किया है कि मूल्यबृद्धि चिन्ताजनक स्थिति पर पहुँच गयी है और

अपने परिश्रम से प्राप्त वेतन की बचत को जब मजदूर बैंकों में या भविष्य निधि के खाते में जमा करता है या और कहीं किसी योजना में लगाता है तो किसी भी हालत में उसके असली मूल्य की सुरक्षा होनी आवश्यक है। इसी प्रकार मृत्यु सहायता/मुआवजा निधि, पारिवारिक पेन्शन व बीमा योजना सहूलियतें व रिटायरमेन्ट सुविधाओं आदि को भी मूल्यों की वृद्धि के घातक परिणाम से सुरक्षा मिलनी चाहिये। अबाध रूप से अब तक चली आयी हुयी ऐसी क्षतिपूर्ति को रोकने के लिये उक्त सभी आर्थिक सुविधाओं को मूल्य सूचकांक के साथ जोड़ना ही एकमेव उपाय है।

अतः, भारतीय मजदूर संघ का यह अ. भा. अधिवेशन मांग करता है कि मजदूरों के सभी प्रकार के सामाजिक व कल्याणकारी बचतों तथा पूजी के आर्थिक लाभों को उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के साथ जोड़ दिया जाय।

-:o:-

बोनस

बोनस का विवाद प्रायः हर वर्ष का है। इस समस्या का ठीक हल न निकलने के कारण प्रतिवर्ष पर्याप्त मात्रा में मानव दिवसों की हानि होती है। बोनस कानून होते हुये भी इस प्रकार की स्थिति निर्माण होने का अर्थ है कि कानून में कमी है और उसमें आमूलाग्र संशोधन की आवश्यकता है।

दि. 6 दिसम्बर 61 को जब अ. भा. उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 104 था, बोनस कमीशन ने उद्योग को चाहे लाभ हुआ हो या हानि, न्यूनतम बोनस 4 प्रतिशत की सिफारिश की थी। सरकार ने इसे स्वीकार करके कानून बनाया। वर्ष 1971 में जब उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 190 हुआ तो सरकार ने न्यूनतम बोनस बढ़ाकर 8.33 प्रतिशत स्वीकार किया, जो न्यायोचित ही था। अब जब मूल्य सूचकांक बढ़कर 558 हो गया है. और मजदूरों के प्रत्यक्ष वेतन और जीवन वेतन में बहुत अन्तर हो चुका है तथा मजदूरों के असली वेतन में पर्याप्त कमी हुयी है, भारतीय मजदूर संघ का यह सम्मेलन मांग करता है कि न्यूनतम बोनस को बढाकर 12.50 प्रतिशत किया जाय, ताकि प्रत्यक्षवेतन और जीवन वेतन के अन्तर को थोड़ा कम किया जा सके और मजदूरों को परेशानी से थोड़ी राहत मिल सके।

इस संशोधन के साथ ही बोनस कानून में निम्नांकित संशोधनों के लिये भी भारतीय मजदूर संघ का यह अधिवेशन सिफारिश करता है।

(1) प्रत्येक वेतन भोगी को चाहे उसका वेतन कितना भी हो, उसके काम का स्थान व उद्योग का प्रकार कैसा भी रहे और उसका मालिक कोई भी हो, बोनस पाने का हकदार माना जाय।

(2) बोनस की उपरी सीमा चाहे वेतन की हो या वार्षिक वेतन के प्रतिशत की हो, हटा दिया जाय।

(3) उद्योग लेखा जोखा की लाभ व हानि में घिसावट (डिप्रिसियेशन) से अधिक धनराशि पूर्व प्रभार (प्रायर चार्ज) के नाते न लगाया जाय।

(4) आयकर कानून के अनुसार ही आयकर को पूर्व प्रभार (प्रायर चार्ज) के नाते लगाया जाय न कि

(5) लेखा परीक्षण हो जाने के बावजूद भी उद्योग/संस्था के लेखा जोखा तथा बाऊचरों को निरीक्षण करने का मजदूरों को अवसर दिया जाय, ताकि वे आय व्यय विवरण की पुष्टि करके सन्तुष्ट हो सकें ।

(6) पूर्व प्रभार (प्रायर चार्ज) के नाते पूंजी निवेश की छूट तथा आरक्षित निधि के अर्जन को न माना जाय ।

(7) मजदूरों को कानूनी बोनस फार्मूले के अतिरिक्त भी मूल कानून के परिच्छेद 34 (3) के अनुसार अन्य तरीकों से भी मालिकों से समझौता करने के अधिकार को पुनर्स्थापित किया जाय, किन्तु न्यूनतम बोनस 12.50 प्रतिशत से कम मान्य न हो ।

—:०:—

केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिये वेतन आयोग

भारतीय मजदूर संघ अपने ७ वें अखिल भारतीय अधिवेशन में केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिये गठित चतुर्थ वेतन आयोग के बारे में अपना मत प्रकट करते हुये यह स्पष्ट करता है कि केन्द्रीय कर्मचारियों के वेतन और सेवा शर्तों के सुधार की कार्यवाहियाँ बहुत लम्बी अवधि से स्थागित सी रही है, ऐसी स्थिति में चतुर्थ वेतन आयोग के गठन से उसमें गतिशीलता आयेगी । किन्तु समुचित अन्तरिम राहत और समयबद्ध कायवाही के अभाव के कारण यह निराशाजनक ही है । केन्द्रीय सरकार के अन्यान्न विभागों में काम करने वाले लाखों कर्मचारियों को एक ही वेतन आयोग के अन्तर्गत लाना, किसी भी प्रकार तर्कशुद्ध और न्याययुक्त नहीं है । प्रत्येक विभाग स्वयं में बहुत व्यापक है और उनके काम के प्रकार भी भिन्न हैं । औद्योगिक, व्यावसायिक, परिवहन, संचार, नागरिक उड्डयन, सुरक्षा, समाजकल्याण, और सामान्य प्रशासन व नागरिक सेवा जैसे विभागों के भिन्न भिन्न स्वरूप के काम के कारण तांत्रिकता, विशेषता, सूक्ष्मता तथा महत्वता में भी काफी अन्तर रहता है । इस कारण एक वेतन आयोग का बैठाना बुद्धिमत्ता का द्योतक नहीं है ।

विगत तीन वेतन आयोगों के बारे में कर्मचारियों का अनुभव बहुत ही कटु रहा है । इन आयोगों की सिफारिशों में जो विसंगतियाँ थीं, कई समितियाँ बैठाकर, पर्याप्त समय व्यय कर और जे.सी.एम. में दीर्घ चर्चा करके भी (जो निरर्थक ही थी) उन्हें आज तक ठीक किया नहीं जा सका । वेतन आयोग का कार्य काफी लम्बा समय लेने वाला, बड़ा खर्चीला और अनुपयुक्त सिद्ध हुआ है । आयोग में कर्मचारियों को प्रतिनिधित्व न देने, समुचित अन्तरिम राहत की घोषणा न करने तथा समयबद्धता का बन्धन न रखने के कारण सरकार का प्रयास कर्मचारियों की आखों में धूल झोकने के बराबर ही है ।

ऐसे आयोगों और जे. सी. एम. पर से कर्मचारियों का विश्वास उठ गया है । इस कारण उसे तिरस्कार करने के अलावा कर्मचारियों के सामने अन्य कोई दूसरा मार्ग शेष नहीं है ।

यह सम्मेलन सरकार से मांग करता है कि वह 200 रुपये मासिक अन्तरिम राहत की तुरन्त घोषण करे तथा अलग अलग विभागों के कर्मचारियों के लिये अलग अलग वेतन पुर्निर्धारण की समयबद्ध संयुक्त (कम्पोजिट) समितियों की स्थापना करे ।

समय की आवश्यकता को देखकर यह अधिवेशन समस्त कर्मचारियों और उनके संगठनों को आह्वान करता है कि वे संयुक्त रूप से संघर्ष करने हेतु एक मंच पर आवें ताकि, अपनी न्यायपूर्ण मांगों–समुचित अन्तरिम राहत को पाने तथा अलग अलग वेजबोर्डों को गठित कराने में सफलता प्राप्त कर सकें।

–:o:–

श्रम कानूनों में संशोधन

श्रम कानून कालवाह्य एवं आज की परिवर्तित परिस्थिति में अनुपयुक्त सिद्ध हो चुके हैं। श्रमिको को उद्योगो में साझेदारी मान्य करने हेतु संविधान को बदला गया है। इस सहभागित्व के तथ्य को क्रियान्वित करने की दृष्टि से सभी श्रम कानूनों में आवश्यक परिवर्तन कर समानता, स्पष्टता और सरलता लाने तथा साथ ही पुनरोक्ति, अस्पष्टता तथा अतिविस्तृता को दूर करने हेतु एक ही 'अखिल भारतीय श्रम संहिता' को निरुपित करना चाहिये।

औद्योगिक विवाद (संशोधन) विधेयक 1982 और वेतन भुगतान (संशोधन) विधेयक 1982 को संसद ने पारित कर दिया है। श्रम संघ (संशोधन) विधेयक 1982, अस्पताल और अन्य संस्था (विवाद मिटाने) विधेयक 1982 तथा ग्रैच्युटी भुगतान (संशोधन) विधेयक 1982 को संसद में विचारार्थ प्रस्तुत कर दिया गया है। ऊपर निर्देशित स्वीकृत हुये अधिनियम और प्रस्तावित विधेयक केवल अपर्याप्त ही नहीं, अपितु ट्रेड यूनियन एवं मजदूरों के खिलाफ भी हैं।

अतः भारतीय मजदूर संघ के इस अधिवेशन की मांग है कि औद्योगिक शान्ति स्थापित करने तथा मजदूरों के हितों की रक्षा करने के लिये श्रम कानूनों में अनिवार्य रूप से निम्नांकित संशोधनों को क्रियान्वित करना चाहिये–

(1) मजदूर और मालिक का जहां भी सम्बन्ध उपस्थित हो, उसे 'उद्योग' की परिभाषा में मान्य किया जाय।

(2) किसी भी उद्योग में प्रबन्धकीय अधिकार रखने वालों को छोड़कर शेष समस्त वेतन भोगियो को 'मजदूर' की परिभाषा में लाया जाय।

(3) द्विपक्षीय समझौते के असफल हो जाने पर यूनियन को सीधे न्यायालय में जाने का अधिकार हो।

(4) जब देश की सुरक्षा अथवा आम जनता के स्वास्थ और सुरक्षा खतरे में हो तभी विवादों के अनिवार्य अभिनिर्णय हेतु भेजे जाने के मामलों में सरकार को छानबीन व हस्तक्षेप करने का अधिकार रहे।

(5) सामुहिक विवादों में मांग पत्र देने की तिथि से समझौते मान्य होने चाहिये, उनके असफल होने पर एक वर्ष की अवधि के अन्दर ही न्यायालयीन फैसले सम्पन्न हों जावे।

(6) कानूनी देय पाने हेतु जो हड़तालें होती हैं, उन्हें वैधानिक मानकर उस अवधि का पूरा वेतन मजदूरों को मिलना चाहिये।

(7) न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना निश्चित अवधि के भीतर यदि कोई मालिक या प्रबन्धक कानूनी देय मुहैय्या न करे अथवा यदि कोई प्रबन्धक या मालिक कानून के खिलाफ तालाबन्दी घोषित कर दे तो अपराध मानकर उसे सख्त कैद की सजा देने की व्यवस्था हो।

(8) मजदूर को नौकरी से निष्कासन के पूर्व ही उसके कानूनी देय के भुगतान की अनिवार्य शर्त रहे।

(9) यदि कोई मालिक उच्च न्यायालय में अपील करना चाहें तो उसे निचले न्यायालय का प्रमाण-पत्र उपस्थित करना अनिवार्य होना चाहिये, ताकि निचले न्यायालय के एवार्ड के अनुसार देय राशि के भुगतान की पुष्टि हो सके।

(10) न्यायालयीन कार्यवाही के समय मजदूरों के प्रतिनिधि को सलाह देने हेतु श्रमन्यायालय अथवा न्यायाधिकरण (ट्रिब्यूनल) ने जिन मजदूरों को अनुमति दिया है, उन्हें जिस अवधि तक न्यायालय मान्य करे उस अवधि तक काम पर उपस्थित माना जाना चाहिये।

(11) सर्वोच्य न्यायालय और उच्च न्यायालयों में श्रमविवादों की सुनवाई के लिये अलग पीठ स्थापित किया जाय।

(12) वेतन भुगतान कानून के अन्तर्गत अपीलों की सुनवाई के लिये सामान्य न्यायालय नहीं, अपितु औद्योगिक न्यायाधिकरण को अधिकार दिया जाय।

(13) मालिको के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही करने हेतु मजदूरों को अधिकार मिले।

(14) गुप्त मतदान के आधार पर अनुपातिक संयुक्त सौदेबाजी समिति का निर्माण हो।

(15) समझौतों व एवार्डों के क्रियान्वयन के बिना सेवाशर्तों में बदल न हो।

(16) हड़ताल करने का श्रमिकों को अधिकार मिले।

(17) व्यक्तिगत विवादों में मजदूर को सीधे न्यायालय में जाने का अधिकार हो तथा न्यायालयीन जांच 6 मास की अवधि के भीतर पूर्ण किये जाय।

(18) स्वतंत्र व स्वायत्त औद्योगिक सम्बन्ध आयोग का गठन किया जाय, जो प्रमुख रूप से अभि-निर्णय, समझौते तथा यूनियनों की मान्यता के सम्बन्ध में निर्णय करे।

(19) कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अन्तर्गत सभी प्रकार की सुविधाओं को जोड़ा जाय।

(20) उद्योग की स्थिति, आकार प्रकार तथा मजदूरों की संख्या आदि का विचार न करते हुये सभी मजदूरों को 12.50 प्रतिशत न्यूनतम बोनस देने का प्राविधान हो तथा बोनस का उच्चतम सामा को समाप्त किया जाय।

(21) न्यूनतम वेतन आवश्यकता पर आधारित हो तथा उसे मूल्य सूचकांक के साथ जोड़ा जाय।

(22) उद्योग की स्थिति, आकार प्रकार तथा मजदूरों की संख्या आदि का विचार न करते हुये सभी मजदूरों को ग्रैच्युटी देने की व्यवस्था हो तथा ग्रैच्युटी का दर प्रति वर्ष के पीछे एक मास का निश्चित किया जाय और उसके लिये 240 दिन की उपस्थिति का बन्धन हटाया जाय।

—:o:—

अभिनन्दन

भारत के दो ख्यातनाम सुपुत्र, जिन्होंने अपने क्षेत्र में विशिष्ट उपलब्धियों के कारण प्रसिद्धि तो पायी ही, पर साथ ही साथ भारत को भी सम्मानित किया। डा. चन्द्रशेखर को नक्षत्र लोक के शोध के लिये विश्व का अतिश्रेष्ठ नोबल पुरस्कार इस वर्ष दिया गया। श्री सुनील गावस्कर ने टेस्ट क्रिकेट मुकाबलों में 30 वां शतक मारकर चालीस वर्षों से चलते आये डान ब्रेडमन के विश्व रिकार्ड को तोड़कर सारे संसार का अति श्रेष्ठ क्रिकेट खिलाड़ी बनने में सफलता पायी।

भारतीय मजदूर संघ इनकी सफलता पर गर्व करता है और इनका हार्दिक अभिनन्दन करते हुये भविष्य में भी इनकी सफलता की कामना करता है।

पोलैण्ड की स्वतंत्र ट्रेड यूनियन संगठन 'सालिडरिटी' के सर्वमान्य नेता लेक वालेसा, जिनको शान्ति का 'नोबल पुरस्कार' दिया गया, को भारतीय मजदूर संघ अभिनन्दन करता है। इन्होंने तानाशाही सरकार के दमन का सामना करते हुये सरकार और राजनैतिक दल से स्वतंत्र ट्रेड यूनियन को सुरक्षित रखा। अन्य देशों में ऐसी परिस्थिति का सामना करने वाले मजदूर नेताओं को उनके इस अदम्य साहस व धैर्य्य के उदाहरण से निश्चित ही स्फूर्ति मिलेगी।

—:०:—